न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./52/2017/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

दीपाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी भाम्भूओ की ढाणी(सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर	1. कानाराम पुत्र सोनाराम 2. खेमाराम पुत्र सोनाराम 3. खेराजराम पुत्र सोनाराम 4. भारमलराम पुत्र सोनाराम 5. खेमाराम पुत्र सताराम 6. नगाराम पुत्र सताराम 7. श्रीमती लालीदेवी पत्नी खेमाराम जाति जाट निवासी भाम्भुओ की ढाणी, सांजटा, तहसील व जिला बाड़मेर 8. तहसीलदार साहब बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 06/2012 बउनवान दीपाराम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2016 के विरूद्ध अपील पेश की गई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—07.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता/वादी द्वारा एक राजस्व वाद 88, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि मौजा भाम्भुओ का तला (सरली) के खेत खसरा संख्या 723, 725, 729, 750 व 751 कुल रकबा 116.05 बीघा व मौजा लूखो का तला (सरली) के खेत खसरा संख्या 962, 963 कुल रकबा 50.07 बीघा भूमि अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट के पूर्वज स्व. पिरागा उर्फ प्रागा की खातेदारी की थी। अपीलांट स्व. पिरागा उर्फ प्रागा का वैध व विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पैतृक भूमि होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5, 6 व 8 के तहत अपीलांट का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों में से किसी भी तथ्य का तनकी वार साक्ष्य सबूत लेकर विवेचन किये बिना अपीलांट का वाद क्षेत्राधिकार के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिन्दु पर खारिज करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व वादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलांट/वादी ने अपना वाद 1/20 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रमाणित है। किसी भी खातेदारी भूमि में अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने दिनांक 27.03.2025 को उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट सांजटा में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 16.05.2016 को केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय सांजटा में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी, न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिले निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलांटस के अधिवक्ता ने निर्णय दिनांक 16.05.2016 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था लेकिन सहायक कलक्टर, बाड़मेर के रीडर श्री ललित जोशी ने अपीलांट के अधिवक्ता को यह भी अवगत करवाया कि अदालत हाजा में निर्णय दिनांक 16.05.2016 को पारित करने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के मौखिक आदेश दिये हैं जो निर्णय लिखने में समय लगेगा और इसके पश्चात जब निर्णय दिनांक 16.05.2016 के पश्चात तिथि में मुद्रित किया गया ओर जिसकी प्रति दिनांक 27.04.2017 को अपीलांट के अधिवक्ता को दी गई तब सर्वप्रथम दिनांक 27.04.2017 को अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु के आधार पर पारित करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना विधि सम्मत है। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय सांजटा में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। वादी/अपीलांट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था। तत्पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादी/अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 06/2012 वउनवान दीपाराम बनाम मुकनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2016 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेपित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मूल वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

7/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 07.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर